

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 447)/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मुन्नी शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाखोली, खण्ड डीडवाना, जिला नागौर को परिवीक्षाकाल अवधि में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 03.10.2017 से 13.11.2017 तक 42 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06 Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 447)/2018/4201 दिनांक:- 27/12/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीडवाना (नागौर)।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर